>

Title: Issue regarding law and order situation in Punjab.

श्री रवनीत सिंह (आनंदपुर साहिब): सर, मुझे यहां से बोलने की इजाज़त दी जाए। सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, जिस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं आपके माध्यम से पंजाब में दलितों, लड़कियों और अब कांग्रेसी विधायकों पर हो रहे सरकारी अत्याचार पर संसद का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आपने सभी नैशनल मीडिया पर देखा होगा कि चार मार्च को तरनतारण में एक दलित परिवार की लड़की, उसके पिता और भाई के साथ पुलिस वालों ने क्या व्यवहार किया था। जब वह अपनी छेड़खानी की शिकायत दर्ज करवाने पुलिस के पास गई तो उसको पीटा गया। उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी उसे जलियावालां बाग के अत्याचार के बराबर बताया है। जब वह परिवार अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा चुका है तो अब पंजाब सरकार और पुलिस रेज़ उसके पिता और भाई के ऊपर यह ज़ोर डाल रही है कि वे अपनी एफआईआर वापस लें। अभी पंजाब में विधान सभा चल रही है। उस लड़की ने हमारे सीएलपी लीडर सुनील जाखड़ जी और हमारे विधायकों से अपनी गुहार लगाई कि मुझे सी.एम. साहब या स्पीकर से मिलाया जाए। तब वे उसे विधान सभा ले गए। वहां पर सीएलपी के दफ्तर में और ऑपोज़िशन लीडर के दफ्तर में बैठे हुए डेढ़ सौ पुलिस वाले विधान सभा में उसको उठाने आ गए। जब विधायकों ने उसे बचाने की कोशिश की तो नौ विधायकों को सस्पैंड कर दिया गया और छह विधायकों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह गुजारिश करूंगा कि होम मिनिस्टर साहब वहां पर इंटरवीन ज़रूर करें नहीं तो पंजाब के हालात बहुत ही बद्तर हो चुके हैं। मेरी यही गुज़ारिश है।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again on Monday, the 18th March, 2013 at 11 a.m.

18.45 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Monday, March 18, 2013/Phalguna 27, 1934 (Saka).

---

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.